Indian J. Soc. & Pol. 10 (02) :63-65 : 2023 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2023 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में 'उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा गारंटी नियमावली 2011' के अन्तर्गत गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य एवं भूमिका

धनन्जय कुमार सिंह[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, बी0एड0 विभाग, श्री म0रा0दास पी0जी0 कालेज, भुड़कुड़ा गाजीपुर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 के राज्यपाल के अधिसूचना दिनांक 27जुलाई 2011 के द्वारा उ0प्र0 बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 लागू किया गया। उक्त नियमावली द्वारा गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया। अधिनियम के द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समितियों के कार्य निर्धारित किये गये और समितियों से यह आशा की गयी कि वे स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सहभागिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगीं, परन्तु विद्यालय प्रबन्ध समितियों के कार्य निष्पादन के सन्दर्भ में किये गये अध्ययन निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। अतः विद्यालय प्रबन्ध समितियों को प्रभावी बनाने हेतु उन्हें स्थानीय स्तर पर अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है।

KEYWORDS : *प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा गारंटी नियमावली 2011*

शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यह जीवन के आदि से अन्त तक चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रारम्भिक शिक्षा एक आधार है। शिक्षा की सम्पूर्ण संरचना का निर्माण प्रारम्भिक शिक्षा के आधार पर ही होता है। ''भारत में 6 से 14 वर्ष के बालको के लिए निर्धारित शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा कहलाती है।''(लाल :2013 पृ016)

भारत में शिक्षा से वंचित सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में दिये गये निर्णय में यह कहा गया कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है तथा 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। इस निर्णय के उपरान्त 86वॉ संविधान संशोधन 2002 के अन्तर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21ए सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 21ए के अनुसार '' राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबन्ध करेगा।''(कश्यप : 2012 पृ0151) उक्त क्रम में ''वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम विकसित हुआ जो 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में पारित तथा 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ।''(संवाद : 2012,पृ08) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2011 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (अधिनियम सं0 35 सन् 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमो एवं आदेशों का अधिक्रमण करके नियमावली बनायी गयी जो उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के रूप में लागू हुई।''(वही,पृ0118)

बालकों के शैक्षिक विकास की प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यालय के साथ समुदाय की सहभगिता अति आवश्यक है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमीकरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामुदायिक सहभागिता पर बल दिया गया तथा प्रारम्भिक स्तर पर विद्यालय संचालन हेतु विद्यालय शिक्षा समिति की अवधारणा की गयी। आई0आई0आर0डी0 (2010) के अध्ययन से यह पाया गया कि '' शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्ति में प्रमुख बाधक तत्व विद्यालय प्रशासन में सामुदायिक सहभागिता की कमी रही है।'' अतः शिक्षा गारंटी अधिनियम 2009 में भी यह माना गया कि सामुदायिक भागीदारी विशेषकर अभिभावक उन्मुख सहभागिता द्वारा ही शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय एवं समुदाय के बीच मजबूत सम्बन्ध स्थापित करने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति की संकल्पना की गयी, तथा प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गयी। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 भाग 5 के अन्तर्गत धारा 21, 22 में विद्यालय प्रबन्ध समित के गठन तथा कार्यों को निर्धारित किया गया।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य–

उ0प्र0 बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समितियों के लिये निम्नलिखित प्रमुख दायित्व निर्धारित किये गये हैं–

1: Corresponding Author

धारा 21 के उप नियम 8(क) के अनुसार सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम में प्रतिपादित बालक के अधिकार एवं माता पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आस पास की आबादी को अवगत कराना ।

उप नियम 8(ख) के अनुसार धारा 24 के खण्ड (क) एवं (ड.) तथा धारा 28 के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह सूनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता–पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बालक की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अवगत करायें और यह कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन एवं अध्यापन में लिप्त नहीं है।

उपनियम 8 (ग) के अनुसार– अधिनियम की धारा 27 के कार्यान्वयन हेतु यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर गैर शैक्षणिक कर्तव्यो का भार न डाला जाय।

उपनियम 8 (घ) के अनुसार– विद्यालय में आस–पास के सभी बालको का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना।

उपनियम 8 (ड.) के अनुसार– अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों के रखरखाव का अनुश्रवण करना ।

उपनियम 8 (च) के अनुसार– बालको के अधिकारों के किसी भी अपसरण से विशेष रूप से बालकों का मानसिक एव भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इनकार और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपबन्ध को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना।

उपनियम 8 (छ) के अनुसार– जहॉ किसी बालक की आयु 6 वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है वहॉ उसके आयु संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यक्ताओं का चिन्हांकन करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

उपनियम 8 (ज) के अनुसार– निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिन्हांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना।

उपनियम 8 (झ) के अनुसार– विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना।

उपनियम 8 (ञ) के अनुसार– विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।

धारा 21 के उपनियम (9) के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगां एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

उपनियम 10 के अनुसार– उप नियम 9 में निर्दिष्ट लेखों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें और उनके तैयार होने के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

धारा 22 के उपनियम 10 के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

मूल्यांकन

उ0प्र0 बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति में विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावक प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चयनित प्रतिनिधि एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि को शामिल करने की व्यवस्था की गयी । इस प्रकार स्थानीय स्तर पर सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित कर तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण कर विद्यालय प्रबन्ध समिति से यह अपेक्षा की गयी कि यह समिति स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सहभागिता के द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिक एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेगी। अधिनियम की धारा 21 एवं 22 के अन्तर्गत उल्लिखित विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्यों के विश्लेषण से यह ध्वनित होता है कि विन्दुवार निर्धारित कार्यों की भाषा पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। स्मरणीय है कि भारत के सरकारी विद्यालयों में अधिकांशतया सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसी स्थिति में समिति के सदस्य के रूप में अभिभावक शायद ही विनिर्दिष्ट कार्यों की तकनीकी शब्दावली समझने में सक्षम हो सकें। अनेक अध्ययनों में विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य निष्पादन के दृष्टिगत मिश्रित परिणाम पाये गये हैं। थापा (2012) द्वारा हरियाणा राज्य के गुड़गॉव में 7 विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबन्ध समितियों के कार्य निष्पादन के विषय में किये गये सर्वेक्षण आधारित अध्ययन द्वारा यह पाया गया कि '' (1) स्थानीय समुदायों को समिति के विषय में कोई सूचना नहीं है। (2) समिति के सदस्यों को अपनी भूमिका एवं कार्यों के विषय में समुचित जानकारी का अभाव है। (3) समिति सदस्यों को अपने सदस्यों के प्रभावी संचालन हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। (4) किसी भी विद्यालय में विद्यालय विकास योजना नहीं बनायी गयी है। (अ)समिति के बैठको में सदस्यो की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करायी जाती है।'' झॉ(2019) के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार ''विभिन्न प्राथमिक एवं सहायक आकड़ों कें आधार पर यह परिलक्षित होता है कि अनेक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय प्रबन्धन एवं गुणवत्ता सुधार में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। परन्तु सामान्यतः

यह पाया जा रहा है कि अधिकतर विद्यालयों में समिति का कार्य संतोषजनक नहीं है। विभिन्न राज्यों के विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्यो के समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि आंध्रप्रदेश में समस्याओं का निवरण समिति के द्वारा सफलता से किया गया है। जबकि अधिकांश राज्यों में यह प्रभावी नहीं है।''

सुझाव

सामान्यतया विद्यालय प्रबन्धसमिति अपने उत्तरदायित्वों का वास्तविक रूप में निर्वहन करने में असमर्थ सावित हो रही है। अतः विद्यालय प्रबन्धसमिति को अपने दायित्वो को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में समर्थ बनाने हेतु आवश्यक है कि समिति के सदस्य अपने दायित्व के प्रति जागरूक हों, समिति सदस्यो को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाय, धारा 21 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यो की तकनीकी शब्दावली को स्पष्ट किया जाय, विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में समिति सदस्यों तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सदस्यो को बैठक की सूचना यथा समय दे दी जाय तथा बैठक का समय सदस्यो की सुविधा को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाय।

उपरोक्त सुझाावों को ध्यान में रख कर यदि विद्यालय प्रबन्ध समिति को और अधिक प्रभावी तथा कार्यकुशल बनाया जाय तो यह समिति स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओ को ध्यान में रखकर विद्यालय विकास योजना का निर्माण कर सकती है। समिति प्रभावी निगरानी तन्त्र के रूप में भी विकसित की जा सकती है। यदि विद्यालय प्रबन्ध समितियॉ सामुदायिक भागीदारी द्वारा विद्यालय विकास हेतु अपना सक्रिय योगदान देने में समर्थ हो जाय तो प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी अनेक समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

REFERENCES

लाल,आर0बी0 (2012) *भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें,* मेरठ, आर0लाल0बुक डिपो

कश्यप, सुभाष (2012) *हमारा सविधान,* नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट

संवाद (2012), *शिक्षक प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका* : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बलिया

आई0आर0आर0डी0 (2010), *रिपोर्ट आन कैपासिटी विल्डिंग नीड्स वी0ई0सी0 हरियाणा* : इन्स्टीट्यूट आफ रूरल रिसर्च एण्ड डेबलपमेंट

थापा, सीजन (2012), *हाउ फंकशनल आर स्कूल मेंनेजमेंट कमेंटी इज,* सी0सी0एस0 पेपर नम्बर–271, सेंटर फार सिविल सोसायटी गुड़गॉव हरियाणा।

झा, कमलनाथ (2019), शिक्षा प्रबन्धन में समुदाय की सहभागिता, *कुरूक्षेत्र,* नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मन्त्रालय